


परिशिष्ट I (पैरा 1.1 देखें)

संगठनात्मक चार्ट



मुख्यालय स्तर	
जोनल रेलवे स्तर	
उत्पादन ईकाई स्तर	

\*कोचिंग डिपो सहित

**परिशिष्ट II (पैरा 1.4 देखें)**

**नमूना अध्ययन के लिए चयनित कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन इकाइयों के ब्यौरो को दर्शाने वाला विवरण**

क्रम संख्या	वर्णन	इकाइयों की कुल संख्या	इकाइयों के चयन के लिए मानदण्ड	चयनित इकाइयों की संख्या
1	यांत्रिक-कार्यशाला	41	न्यूनतम दो कार्यशाला के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत	30
2	सिग्नल एवं दूर संचार कार्यशाला	10	प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यशाला	10
3	इन्जीनियरिंग कार्यशाला	15	प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यशाला	9
4	शेड	94	दो डीजल लोको शेड और एक इलेक्ट्रिकल लोको शेड	43
5	ईएमयू/एमईएमयू/डीईएमयू/कार शेड	30	एक कार शेड	12
6	कोचिंग एवं वैगन डिपो	242	दो मुख्य डिपो-एक कोचिंग डिपो और एक वैगन डिपो। यदि कोई वैगन डिपो नहीं है तो दो मुख्य कोचिंग डिपो	34
7	उत्पादन इकाइयां	6	सभी छः उत्पादन इकाइयां का चयन किया गया था। प्रत्येक उत्पादन इकाई में, न्यूनतम पाँच शॉप के अध्यक्षीन विनिर्माण शॉप का 25 प्रतिशत।	6
<b>जोड़</b>		<b>438</b>		<b>144</b>

**परिशिष्ट III (पैरा 1.4 देखें)**

**सभी क्षेत्रीय रेलों से चयनित कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन इकाईयों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

यांत्रिक कार्यशाला		
क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यशाला का नाम
1	ईसीओआर	भुवनेश्वर
2	ईसीआर	समस्तीपुर
3	सीआर	मादंगा
4		परेल
5	ईआर	लिलुहा
6		कंचरापारा
7		जमालपुर
8	एनसीआर	झांसी
9		सिथोली
10	एनएफआर	न्यू बोगाईगोंव
11		डिब्रुगढ
12	एनईआर	गोरखपुर
13		इज्जतनगर
14	एनआर	चारबाग, लखनऊ
15		जगाधरी
16	एनडब्ल्यू आर	कैरियज कार्यशाला अजमेर
17		डीजल लोको एण्ड वैगन कार्यशाला, अजमेर
18	एससीआर	रायनापडु
19		लालगुडा
20	एसईसीआर	नागपुर में मोतीबाग
21		रायपुर
22	एसईआर	खरगपुर
23	एसआर	पेरुम्बूर
24		पोनमली जीएलडी आरसीके
25	एसडब्ल्यू आर	हुबली
26		मैसूर
27	डब्ल्यूसी आर	कोटा
28		भोपाल
29	डब्ल्यूआर	लोवर परेल
30		दाहोद

डीजल लोको शेड		
क्र.सं.	क्षेत्र	शेड का नाम
1	ईसीओआर	विशाखापतनम
2	ईसीआर	मुगलसराय
3		समस्तीपुर
4	सीआर	कलयाण
5		पुणे
6	ईआर	बरदमान
7		अन्दल
8	एनसीआर	झांसी
9		ग्वालियर
10	एनएफआर	सिलीगुडी
11		न्यू गुवाहाटी
12	एनईआर	गोण्डा
13		इज्जतनगर
14	एनआर	आलमबाग, लखनऊ
15		लुधियाना
16	एनडब्ल्यूआर	भगत की कोठी
17		अबू रोड
18	एससीआर	गुटी
19		काजीपेट
20	एसईसीआर	रायपुर
21		नागपुर में मोतीबाग
22	एसईआर	बोन्दा मुण्डा
23		खरगपुर
24	एसआर	टोन्डियारपेट
25		एरनाकुलम
26	एसडब्ल्यूआर	हुबली
27		कृष्णाराजापुरम
28	डब्ल्यूसीआर	इटारसी
29		न्यू कटनी जंक्शन
30	डब्ल्यूआर	रतलाम
31		वत्वा

कोचिंग डिपो		
क्र.सं.	क्षेत्र	डिपो का नाम
1	ईसीओआर	विशाखापतनम
2	ईसीआर	राजेन्द्र नगर
3	सीआर	लोकमान्य तिलक टर्मिनल
4	ईआर	चितपुर
5	एनसीआर	इलाहाबाद
6		ग्वालियर
7	एनएफआर	न्यू जलपाईगुडी
8	एनईआर	लखनऊ
9	एनईआर	छप्परा
10	एनआर	मुरादाबाद
11	एनडब्ल्यूआर	जोधपुर
12	एनडब्ल्यूआर	बिकानेर
13	एनडब्ल्यूआर	जयपुर
14	एससीआर	हैदराबाद
15	एसईसीआर	बिलासपुर
16	एसईआर	टाटानगर
17	एसआर	बेसिन ब्रिज जंक्शन
18	एसडब्ल्यूआर	बेंगलोर
19	डब्ल्यूसीआर	हबीबगंज
20	डब्ल्यूसीआर	जबलपुर
21	डब्ल्यूआर	बान्द्रा टर्मिनल
22	डब्ल्यूआर	अहमदाबाद (बीजी)

वैगन डिपो		
क्र.सं.	क्षेत्र	डिपो का नाम
1	ईसीओआर	विशाखापतनम
2	ईसीआर	मुगल सराय
3	सीआर	भूसावल
4	ईआर	अन्दल
5	एनएफआर	न्यू जलपाईगुडी
6	एनआर	अम्बाला डिवीजन
7	एससीआर	रामगुन्दम
8	एसईसीआर	भिलाई
9	एसईआर	बोकारो स्टील सिटी
10	एसआर	तिरुचिरापल्ली
11	एसडब्ल्यूआर	हास्पेट
12	डब्ल्यूसीआर	न्यू कटनी जंक्शन
ईएमयू कार शेड		
क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यशाला का नाम
1	ईसीआर	झांझा
2	सीआर	कुर्ला
3	ईआर	बन्देल
4	एनसीआर	आगरा छावनी
5	एनईआर	छपरा कचेरी
6	एनएफआर	सिलीगुडी
7	एनआर	सहारनपुर
8	एसीआर	मोला अली
9	एसईसीआर	भिलाई
10	एसईआर	टिकीपारा
11	एसआर	ताम्बरम
12	डब्ल्यूआर	कन्डीवली

इन्जीनियरिंग कार्यशाला		
क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यशाला का नाम
1	सीआर	मनमाड
2	एनसीआर	इलाहाबाद
3	एनएफआर	बोंगाईगाँव
4	एनईआर	गोरखपुर छावनी
5	एनआर	जालन्धर छावनी
6	एससीआर	लालगुडा
7	एसईआर	सिनी
8	एसआर	अरक्कोनम
9	डब्ल्यूआर	साबरमती
10	एसडब्ल्यूआर	बेंगलोर

एस एण्ड टी कार्यशाला		
क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यशाला का नाम
1	सीआर	बायकुला
2	ईआर	हावडा
3	एनईआर	गोरखपुर छावनी
4	एनएफआर	पन्डु
5	एनआर	गाजियाबाद
6	एनडब्ल्यूआर	अजमेर
7	एससीआर	मेट्टुगुडा
8	एसईआर	खरगपुर
9	एसआर	पोदानूर
10	डब्ल्यूआर	साबरमती

इलेक्ट्रिक लोको शेड		
क्र.सं.	क्षेत्र	शेड का नाम
1	ईसीओआर	विशाखापत्तनम
2	ईसीआर	मुगलसराय
3	सीआर	अजनी
4	ईआर	हावडा
5	एनसीआर	झांसी
6	एनआर	लुधियाना
7	एससीआर	लालगुडा
8	एसईसीआर	भिलाई
9	एसईआर	टाटानगर
10	एसआर	इरोड
11	डब्ल्यूसीआर	इटारसी
12	डब्ल्यूआर	वदोदरा

उत्पादन ईकाईयां		
क्र.सं.	क्षेत्र	ईकाई का नाम
1	एनआर	डीजल मोडरेनाइजेशन, वार्क्स, पटियाला
2		रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला
3	एसआर	इन्टिग्रल कोच फैक्टरी, पेरुम्बूर, चेन्नई
4	एसडब्ल्यूआर	रेल व्हील फैक्टरी, येलांहका, बेंगलोर
5	आरपीयू एण्ड मेट्रो	डीजल लोकोमोटिव वार्क्स, वाराणसी
6	रेलवे	चितरन्जन लोकोमोटिव वार्क्स, चितरन्जन

**परिशिष्ट IV (पैरा 2.1.3 देखें)**

**सीएफओ के नवीनीकरण के प्रदान करने के लिए एसपीसीबी की शर्तें**

सहमति @400 एफडब्ल्यू प्रतिमाह वैगनों और @ 212 वीयू प्रतिमाह कोचो के अनुरक्षण के लिए वैध है।
मिश्रित बहिःस्राव का दैनिक डिस्चार्ज 2408 केएल से अधिक नहीं होना चाहिए और 4 आउटलेट के माध्यम से नोर्थ टैंक में डिस्चार्ज होना चाहिए।
विद्यमान प्रणाली या डिस्चार्ज के स्थान या नए के प्रारम्भ करने में किसी भी परिवर्तन को बोर्ड को सूचित करना चाहिए और इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
रेलवे को औद्योगिक द्रव अपव्यय और घरेलू द्रव अपव्यय के निरूपण तथा इसे क्रियाशील कराने तथा अनुरक्षण के लिए व्यापक सुविधा मुहैया करानी चाहिए ताकि अन्तिम बहिःस्राव की गुणवत्ता निर्धारित मानक: पीएच 5.5 से 9.0, टीएसएस-100 मिली ग्राम प्रति लीटर तक, बीओडी-30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक, सीओडी-250 मिलीग्राम प्रति लीटर तक, तेल एवं ग्रीस-10 मिलीग्राम प्रति लीटर तक के समनुरूप हो। डिस्चार्ज बहिःस्राव का विश्लेषण माहवार किया जाना है।
दैनिक पानी खपत घरेलू उद्देश्य के लिए 326 किलो लीटर और संसाधन जिससे पानी प्रदूषित होता है और पोल्यूटेन्ट आसानी से बायो-डीग्रेडेबिल है के लिए 2350 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
रेल प्रशासन को प्रत्येक कैलेन्डर माह की 5 तारीख को या उससे पहले एसपीसीबी को निर्धारित प्रोफार्मा फोर्म I में पानी की खपत की रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए और उपकरण का भुगतान किया जाना चाहिए।
रेल प्रशासन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सही परिणाम देते हुए उपभुक्त पानी की मात्रा के मापन के लिए उपयुक्त डिवाइस प्रतिष्ठापित करनी चाहिए।
उत्सर्जन के विभिन्न स्रोतों से सम्बद्ध सभी स्टेक को संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और पहचान को सुकर बनाने के लिए पेन्ट/ प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
रेल प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर की बनी हुई एक व्यापक नियंत्रण प्रणाली प्रतिष्ठापित करनी चाहिए जैसाकि वायु उत्सर्जन के सृजन और निरन्तर इसके क्रियाशील करने एवं अनुरक्षण के सन्दर्भ में उचित है जिससे मानक तक पोल्यूटेन्टस के स्तर को प्राप्त किया जा सके।

रेल प्रशासन को स्टेक्स में पोर्ट्स और मॉनीटरिंग/वायु उत्सर्जन के प्रतिचयन के लिए लेडर प्लेटफार्म आदि जैसी अन्य आवश्यक स्थायी सुविधाओं को मुहैया करना चाहिए।
मासिक इंधन खपत (i) हाईकोक-400 किलो, कोल-5 किलो तक सीमित होनी चाहिए।
रेल प्रशासन को रात्रि समय में 70 डीबी (ए) और दिन के समय में 75 डीबी (ए) की मानक सीमा सहित परिसरों के अन्दर अपने निजी स्रोतों से शोर के स्तर के नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।
रेल प्रशासन को सहमति की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए रेलवे द्वारा प्रतिष्ठापित सभी प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को पर्याप्त रूप से क्रियशील बनाने के लिए एक वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा स्रोत के अभाव में, रेल प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सहमति की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए उत्पादन को बन्द, कम या अन्यथा नियंत्रण करना चाहिए।
रेल प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण डिवाइसों के प्रचालन के लिए ऊर्जा की खपत को दर्शाते हुए एक पृथक ऊर्जा मीटर प्रतिष्ठापित करना चाहिए।
रेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यकलाप से पलायक उत्सर्जन को नियंत्रित करना है जिससे फैक्टरी परिसरों के चारों ओर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।
रेल प्रशासन को औद्योगिक और घरेलू द्रव अपव्यय को निकालने के लिए निकास प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए, तूफान के पानी की निकासी औद्योगिक और घरेलू द्रव अपव्यय के उद्देश्य के लिए निकासी प्रणाली से अलग रखी जानी चाहिए।
रेल प्रशासन को संबंधित प्रदूषण बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से खतरनाक अपव्यय/लेक्टेट के नमूनों का विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें अनुबद्ध सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए। जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जानी चाहिए।
रेल प्रशासन को राज्य बोर्ड के स्टाफ के साथ-साथ राज्य बोर्ड की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा एयर, अपव्यय पानी और ठोस अपव्यय नमूनों के संग्रहण के लिए पर्याप्त और सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।

<p>रेल प्रशासन को निर्धारित प्रोफार्मा V में चालू वर्ष के 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पर्यावरणीय विवरण रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए।</p>
<p>रेल प्रशासन को गुणवत्ता, प्रमात्रा, डिस्चार्ज की दर, द्रव बहिःस्राव के डिस्चार्ज के स्थान और वायु उत्सर्जन के बारे में सभी सूचना राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए।</p>
<p>रेल प्रशासन को सेन्ट्रल गाउन्ड वाटर प्राधिकरण के पास भूमि जल के उपयोग के लिए पंजीकरण कराना चाहिए।</p>
<p>रेल प्रशासन को पिछली सहमति की समाप्ति की तारीख से पहले कम से कम 60 दिनों में सहमति के नीवनीकरण के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में राज्य बोर्ड को एक आवेदन-पत्र भेजना चाहिए।</p>
<p>रेल प्रशासन को बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना विद्यमान विनिर्माण प्रक्रिया एवं उपस्कर के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में कोई परिवर्तन, आशोधन विस्तार नहीं करना चाहिए।</p>
<p>रेल प्रशासन को विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात की खतरनाक रसायन नियमावली, 1989 और खतरनाक अपव्यय (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1989 में यथा विहित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।</p>



**परिशिष्ट V (पैरा 2.2.1 देखें)**

**चयनित कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन इकाईयों जहां वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर उपलब्ध नहीं कराए गए थे, को दर्शाने वाला विवरण**

क्षेत्रीय रेलवे	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के साथ उपलब्ध कराए गए कार्यशालाओं / शेडों की संख्या	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के साथ उपलब्ध कराए गए कार्यशालाओं / शेडों के नाम	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के साथ उपलब्ध न कराए गए शॉप/शेडों की संख्या
सीआर	4	(डब्ल्यूएस परेल एवं माटुंगा, डीएलएस कल्याण एवं पुणे)	6
डब्ल्यूआर	5	सीआरडब्ल्यू/लोवर परेल, डीएलएस/वत्वा, रतलाम, लोको के-रिज एवं वैगन वर्कशाप/दाहोद, ईएमयू, डब्ल्यू एस/कनडीवेली)	5
एसआर	3	(ईडब्ल्यूएस/एजेजे, सीडब्ल्यू /पीईआर, डब्ल्यूएस/जीओसी) 1 (डब्ल्यूडी/टीपीजीवाई-अपेक्षित नहीं)	6
एसईआर	3	(ईडब्ल्यूएस/ सिनी, डीएलएस/ केजीपी, डब्ल्यूएस/ केजीपी)	6
एसडब्ल्यूआर	3	(सीआरएस/हुबली, लोको शेड/ हुबली, केजेएम)	3
डब्ल्यूसीआर	1	डब्ल्यूआरएस/ कोटा	7
एसईसीआर	2	(डब्ल्यूआरएस/रायपुर, डीएलएस/रायपुर)	6
ईसीआर	2	(डीएलएस/मुगलसराय एवं समस्तीपुर)	5
एनडब्ल्यूआर	1	(डीएलएस/ भगत की कोठी)	7
ईसीओआर, ईआर,एनईआरएन आर, एससीआर	शून्य		44
14	24		95

परिशिष्ट VI (पैरा 5.4 देखें)

चयनित कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयों में दुर्घटनाओं और हताहत होने को दर्शाने वाला विवरण (2007-12)

क. क्षेत्रीय रेल

जोन	नमूना जांच की गई ईकाईयों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या	जख्मी हुए कर्मचारियों की संख्या
सीआर	10	1635	4	1632
ईसीओआर	5	186	0	186
ईसीआर	7	18	1	17
ईआर	10	2489	7	2487
एनसीआर	9	129	7	117
एनईआर	9	566	2	564
एनएफआर	9	48	0	48
एनआर	10	1215	1	614
एनडब्ल्यूआर	8	577	2	577
एससीआर	10	561	2	560
एसईसीआर	8	612	3	611
एसईआर	9	349	3	349
एसआर	10	587	5	582
एसडब्ल्यूआर	6	244	1	243
डब्ल्यूसीआर	8	798	0	784
डब्ल्यूआर	10	406	11	376
जोड़	138	10420	49	9747

**ख. उत्पादन ईकाई**

उत्पादन ईकाई का नाम	समीक्षा अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या	समीक्षा अवधि के दौरान जखमी हुए कर्मचारियों की संख्या
सीएलडब्ल्यू	9	8
डीएलडब्ल्यू	5	5
आईसीएफ	460	462
आरडब्ल्यूएफ	78	78
आरसीएफ	161	158
डीएमडब्ल्यू	62	62

**ग. कार्यशालाओं, शेडो और उत्पादन ईकाईयों में दुर्घटनाओं एवं हताहत होने का वर्षवार सार**

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहत होने वालों की संख्या	जखमी हुए कर्मचारियों की संख्या
2007-08	2271	5	2052
2008-09	2284	4	2129
2009-10	2107	13	2038
2010-11	1955	8	1883
2011-12	1803	19	1645
	<b>10420</b>	<b>49</b>	<b>9747</b>